कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी...

पत्रांक / /2014–15 दिनांक

नियुक्ति आदेश

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत एवं दूरस्थ शिक्षा विधि से द्विवर्षीय बी0टी0सी0, बी0टी0सी0, बी0टी0सी0 (उर्दू) व विशिष्ट बी0टी0सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश– 2253/79–5–2014–280/98 दिनांक 19 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या– 2254/79–5–2014–282/98 दिनांक 30 जून 2014 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक)(तैनाती) (नियमावली 2008 यथा संशोधित) में निहित प्राविधानानुसार चयन समिति द्वारा चयनित शिक्षामित्रों को उनके नाम के सम्मुख अंकित परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर साधारण वेतनमान ग्रेड–3 वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200 में एक वर्ष के परिवीक्षाकालीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है।

शिक्षामित्रों की प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग में प्रस्तुत किये गये शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाधियां/निवास/जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र यदि जांचोपरान्त झूठे/कूटरचित अथवा फर्जी पाये जाते है तो सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के साथ–साथ उसकी नियुक्ति, नियुक्ति तिथि से स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा। पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्गव्यय देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति आदेश मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	श्रेणी	जन्मतिथि	नियुक्त विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद का नाम–

पृ0सं0 / /2014–15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद..........................।
2– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
3– सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4– प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सम्बन्धित जनपद...........................।
5– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)............................ मण्डल।

6– वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद..........................।

7– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद.............................।

8– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराकर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

9– सम्बन्धित शिक्षामित्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विद्यालय में एक सप्ताह के भीतर सहायक अध्यापक पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

10– कार्यालय गार्डफाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद का नाम–